(21)

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार साहब,
बेगूं

देवा पिता पेमा धाकड़ बनाम शंकरलाल पिता देवीलाल दरोगा
नि. कंथारिया {प्रार्थी} नि. कंथारिया {विपक्षी}

प्रार्थना पत्र- रास्ता खुलवाने बाबत ।

प्रकरण सं. - 02/2014 रेवेन्यु

मान्यवर,

उपरोक्त मामले में विपक्षी शंकरलाल पिता देवीलाल दरोगा की ओर से प्रार्थी के नाम का प्रार्थना पत्र का जवाब निम्न प्रकार प्रस्तुत हैं:-

1. यह कि ग्राम पंचायत राम्पुरिया ने विपक्षी को रास्ते की कार्यवाही संबंधी कोई सूचना नहीं दी गई, तामिल कुनिन्दा कौन था, किसने हस्ताक्षर कराये एवं किसके सामने सम्मन लेने से मना किया उनके नाम, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान आदि का कोई जिक्र नहीं शंकर व श्यामलाल कौन है कहीं हवाला नहीं । तब कार्यवाही फर्जी की गई । विधिवत सूचना नहीं दी जिससे कानून के मुताबिक तामील नहीं मानी जा सकती एवं एक तरफा कार्यवाही की गई विपक्षी को विधिवत सुना नहीं गयी ।

2. यह कि मुझ विपक्षी की खातेदारी की आराजी पर प्रार्थी देवा धाकड के खेत के आ0नं0 156 पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। मुझ विपक्षी के मौजा कंथारिया प. ह. राम्पुरिया के आ0नंबर 151 पर मेरा कुआं एवं ट्यूबवेल लगी है जिस पर आने जाने व ट्यूबवेल तक पहुंचने व निकलने आदि के लिए ट्रेक्टर आदि के निशानात 151 की आराजी में ही है एवं 151 की आराजी के बाहर कोई निशानात नहीं हैं एवं आ0नं0 156 पर पहुंचने का रास्ता आ0नं0 151 की मेड पर नहीं हैं न ही पटवार हल्का ने [illegible] रेकार्ड के अनुसार रास्ता बतलाया हैं।

3. यह कि प्रार्थी के खेत पर आने जाने का [illegible] आदि लाने ले जाने का रास्ता रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज नहीं [illegible] का रास्ता गांव कंथारिया से निकलकर सरकारी रास्ते से प्रार्थी गुलाब पिता कालूजी दरोगा के कुए के पास सरकारी रास्ता से होते हुए आ0नं0 146, 149 पर दर्ज रास्ते द्वारा आता जाता हैं।

....2 पर

नि. शंकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dharmen[illegible] Swami
Date: 2024.05.27 19:26:05
Reason: SelfAttested

(22)

जो रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज हैं एवं आ.नं. 156 तक पहुंचता है। उक्त रास्ते से प्रार्थी न जाकर सीधे मेरी आराजी में निकलना चाहता है, जबकि आ0नं0 155, 156 तक गाडी गडार व ट्रेक्टर आदि के निशानात नहीं है न मौके पर कोई रास्ता हैं। झूंठा व गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

4. यह कि विपक्षी को ग्राम पंचायत द्वारा रास्ते संबंधी कार्यवाही की सूचना विधिवत नहीं दी गई न विपक्षी को सूना गया, फर्जी व झूंठी कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा की गई केवल मात्र मोतबीरों के कथनानुसार रास्ता 60वर्ष निकलना बतला दिया जो एक साक्ष्य का विषय हैं। एवं मोतबीर अपने चहेतों को बनाकर कार्यवाही की गई जिनके बयान भी कलमबद्ध नहीं किये गये।

5. यह कि विपक्षी लकवे की बिमारी से ग्रसित है, एवं गांव में धाकड बाहुल्य आबादी होने से विपक्षी को परेशान कर जबरन विपक्षी की आराजी में से निकलना चाहते है जबकि राजस्व रेकर्ड में विपक्षी की आराजी में कहीं रास्ता विद्यमान नहीं हैं व प्रार्थी की जमीन पर पहुंचने का एकमात्र रास्ता गुलाब पिता कालूजी व दरोगा के कुए के पास जो रास्ता जा रहा है वो ही एकमात्र आने जाने का रास्ता हैं।

6. यह कि विपक्षी की जमीन में प्रार्थी का कोई रास्ता नहीं हैं, जबकि रेकार्ड के मुताबिक अन्य रास्ता है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थी कर रहा है, मात्र विपक्षी को परेशान करने के लिए झूंठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे खारिज फरमाया जावे।

अत: श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रास्ता बाबद प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। ता[illegible] में [illegible] पत्र प्रस्तुत हैं।

दिनांक:- 18.02.2015

Signature Not Verified

Digitally signed by Dharmen[illegible]
Swami
Date: 2024.05.27 19:26:05
Reason: SelfAttested

[illegible] ह० विपक्षी

बजे अदालत न्यायालय तहसीलदार बेगूं मुकाम

देवा बनाम शंकर

करन मुकदमा न. 02 सन् 2014

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.01.2024	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के व्यस्त होने से पत्रावली आगामी दिनांक 04.01.2024 को पेश हो। [signature] O.K.	
04.1.2024	पत्रावली पेश हुई. अर्जेन्ट पाबन्द की तामील किया जा कर पत्रावली आगामी दिनांक 22.1.2024 को पेश हो. [signature] तहसीलदार (भू. अ.) बेगूं जिला–चित्तौड़गढ़	
22.1.2024	पत्रावली पेश हुई उभयपक्षों को आवाज लगाई गई. उभय पक्ष अनुपस्थित, पत्रावली आगामी दिनांक 29.1.2024 को पेश हो. [signature] तहसीलदार (भू. अ.) बेगूं जिला–चित्तौड़गढ़	
29.1.2024	पत्रावली पेश हुई कन्हैयालाल के अधिवक्ता ने जाहिर किया कि गॅर नापस न. 9, 10, 11 को व्यस्तता, लाहिक कार्यवाही जावे. पत्रावली आगामी दिनांक 07.02.2024 को पेश हो. [signature] तहसीलदार (भू. अ.) बेगूं जिला–चित्तौड़गढ़	
7.2.2024	पत्रावली पेश हुई वादीगण को आवाज लगाई गई. वादीगण अनुपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता कन्हैयालाल के उपस्थित। पत्रावली आगामी दिनांक 14.02.2024 को पेश हो. [signature] तहसीलदार	
14.2.2024	पत्रावली पेश हुई. पत्रावली में वादीगण को आवाज लगाई गई वादीगण अनुपस्थित। वादीगण की तरफ से हाजरी एवं तरफ पैरवी से पत्रावली खारिज की जाती है. पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो. [signature] तहसीलदार (भू. अ.) बेगूं जिला–चित्तौड़गढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dharmendra Swami
Date: 2024.05.27 19:26:05 IST
Reason: SelfAttested

21